न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –174/2023–निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलियां जिला भीलवाडा	1. कमलेश /रोशन लाल टेलर निवासी मिरादातार क्लीनीक, बस स्टैण्ड के पास, बिजौलिया तहसील बिजौलिया 2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बिजौलिया
–निगराकार	– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम पटटा कमांक 1691 दिनांक 10.12.2019 निरस्त कराने बाबत्

उपस्थित–

1. विभागीय पेरोकार– निगराकार की ओर से
2. श्री आर.सी. सारस्वत अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.11.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पटटा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140 के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नही किये गये। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पटटा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लघंना की गयी। जिसमें नक्शा नही बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नही किया गया, आपत्ति पत्र जारी नही किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पटटा कोरम से अनुमोदित नही कराया गया। पटटे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड क्रय करने बाबत् किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पटटा संख्या 1691 दिनांकित 10.12.2019 को निरस्त किया जाये।

25.11.25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 01.09.2023 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया किप्रश्नगत पटटा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140 के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नही किये गये। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पटटा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लघंना की गयी। जिसमें नक्शा नही बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नही किया गया, आपत्ति पत्र जारी नही किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पटटा कोरम से अनुमोदित नही कराया गया। पटटे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड क्रय करने बाबत् किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पटटा संख्या 1691 दिनांकित 10.12.2019 को निरस्त किया जाये।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि पंचायत ने नियम 140 से 147 व नियम 149 के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही जो पंचायत द्वारा संपादित की जाने योग्य थी उसकी पालना की गई है और पत्रावली कायम किए जाकर प्रार्थी/विपक्षी पात्रता रखने से उसे रियायती दर पर भूखण्ड विक्रय किया गया है जो किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है और पट्टा निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। पट्टा अनुमोदित होकर मुख्यमंत्री ग्रामीण बी0पी0एल आवास योजना, इन्द्रा आवास योजना के तहत आवासीय सुरक्षा व सुविधा प्रदान करने हेतु जारी किया गया है जो राज्य सरकार व एसडीओ के सिफारिश व अनुमोदन उपरांत किया गया है। इस कारण नियम 140 से 149 के तहत कार्यवाही की जाना अपेक्षित नहीं थी। विपक्षी आवंटी का कब्जा आज तक होकर उस पर ऋण द्वारा मकान बना हो विपक्षी निवास कर रही है। पात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड

25.11.25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवंटन की कल्याणकारी निति के तहत राज्य कोष में ज्यादा राशि प्राप्त होने के बिन्दु को नहीं देखा जाना चाहिए, इस आधार पर पट्टा निरस्त योग्य नहीं है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि मिसल पत्रावली परीक्षण से ज्ञात हुआ कि मिसल पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पटटा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा आपत्तियां मांगने का सूचना पत्र पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं किये हुये हैं। 'नक्शा आबादी भूमि में तलिया का ' पर भी किसी के हस्ताक्षर नही हैं। न ही प्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पटटा विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा संख्या 1691 दिनांक 10.12.2019 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 1691 दिनांक 10.12.2019 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा